निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 21 पटना, बुधवार, 5 ज्येष्ठ, 1932 (श0) / 26 मई, 2010 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-3
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	5-9
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	11-11

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना
14 मई 2010

सं० ए०/बि०–05–1005/2010–**495**––वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं० 6/गो०–34–01/2008–1485, दिनांक 7 अप्रील 2010 के आलोक में श्री प्रभात किशोर शरण, बि०वि०से०, वाणिज्य–कर उपायुक्त, प्रभारी, बगहा अंचल, बगहा को अपने ही वेतनमान में लेखा पदाधिकारी, बिहार भवन, नई दिल्ली के पद पर नियुक्त करते हुए अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
नवीन चन्द्र झा, उप सचिव।

उद्योग विभाग

अधिसूचनाएं
13 मई 2010

सं० 3(सं०)/उ०स्था० (अवकाश)02/10–1921––श्री रामचन्द्र राय, संयुक्त निदेशक(तकनीकी), तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के अन्तर्गत दिनांक 30 दिसम्बर 2009 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक कुल 30 (तीस) दिनों हेतु 60 (साठ) दिनों के अर्द्ध–वेतन को 30 (तीस) दिनों के पूर्ण वेतन में रूपान्तरित करते हुये 30 (तीस) दिनों के रूपान्तरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या 1236, दिनांक 25 मार्च 2010 को निरस्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से
(ह0) अस्पष्ट, उप–सचिव।

19 मार्च 2010

सं० 3/उ0स्था0 (पदस्थापन)02/10 का–1180––कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिसूचना संख्या 269 दिनांक 8 जनवरी 2010 द्वारा श्री सुखमानन्द सिंह, आप्त सचिव का उद्योग विभाग में पदस्थापन के फलस्वरूप दिनांक 10 मार्च 2010 से योगदान स्वीकृत्त करते हुए निदेशक, उद्योग निदेशालय(उद्योग विभाग), बिहार, पटना के कोषांग में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

2. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

3. इनके वेतन की निकासी उद्योग विभाग के मुख्य शीर्ष–3451 सचिवालय लघु शीर्ष–आर्थिक सेवाएँ–90–सचिवालय–0001 माँग संख्या 23 विपत्र कोड संख्या 3451000900001 से की जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से
(ह0) अस्पष्ट, उप–सचिव।

मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचनाएं

28 अप्रील 2010

सं० 15/सी 2–447/09 उ0शि0/1440—विभागीय अधिसूचना संख्या 1026, दिनांक 25 मार्च 2010 के द्वारा श्री श्याम नारायण कुमर, तत्कालीन निदेशक, उच्च शिक्षा को ग्रामीण प्रतिष्ठान बिरौली, समस्तीपुर का निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया गया है। उनके स्थानान्तरण के फलस्वरूप डॉ0 जर्नादन प्रसाद सिंह, निदेशक उच्च शिक्षा को ग्रामीण प्रतिष्ठान बिरौली समस्तीपुर का निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है। पूर्णकालीन निदेशक के नियुक्ति के उपरान्त यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ओंकार नाथ आर्य, उप सचिव।

---

10 मई 2010

सं० 14/एम 7–240/09 उ0शि0/1597—श्रीमती अपराजिता श्रीवास्तव, व्याख्याता, प्राणिशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग, पटना–7 को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय के पत्रांक 652, दिनांक 9 अक्तूबर 2009 तथा पत्रांक 29, दिनांक 12 अप्रील 2010 के आलोक में दिनांक 25 अगस्त 2009 से 31 अगस्त 2009 तक 7 दिनों (सात) का अर्द्ध–वैतनिक अवकाश, दिनांक 1 सितम्बर 2009 से 16 सितम्बर 2009 तक 16 दिनों (सौलह) का अर्जित अवकाश, दिनांक 17 सितम्बर 2009 से 14 फरवरी 2010 तक 302 दिनों का अर्द्ध–वैतनिक अवकाश एवं दिनांक 15 फरवरी 2010 से 21 फरवरी 2010 तक 7 (सात) दिनो का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ओंकार नाथ आर्य, उप सचिव।

---

14 मई 2010

सं० 14/एम 7–36/2010/1650—डा0 एन0 विजय लक्ष्मी, भा0प्र0से0, ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान में निदेशक के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक कार्यकारी व्यवस्था के तहत निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में कार्य निष्पादित करेंगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
के0के0पाठक, सचिव।

19 मई 2010

सं० 1/व 3–58/07–उ0शि0–1690/अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान अधिनियम, 1964 (बिहार अधिनियम संख्या 6, 1989 द्वारा यथा संशोधित) की धारा–5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा श्री जार्ज वर्गिज, भूतपूर्व मुख्य संपादक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ऑफ न्युजपेपर एवं प्रोफेसर जार्ज मैथ्यू, निदेशक, समाज विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली को अधिसूचना निर्गत की तिथि से दो वर्षो के लिए अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना के नियंत्रण परिषद् के लिए सदस्य मनोनित किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार गजट में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति नियंत्रण परिषद् को दे दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
के0के0पाठक, सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 10—571+20-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

सं० 15/एम 1–218/98 अंश उ0शि0–1669
मानव संसाधन विकास विभाग

संकल्प
18 मई 2010

विषयः– विश्वविद्यालय सेवा में कार्यरत शिक्षकों को विभागीय पत्र संख्या 1300, दिनांक 20 जुलाई 2001 के आलोक में पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्वि प्रदान करने के संबंध में ।

राज्य के विश्वविद्यालय सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए यू0जी0सी0 पैकेज (पुनरीक्षित वेतनमान सहित) लागू करने के संबंध में निर्णय विभागीय पत्र संख्या 15/एम 1–218/98 उ0शि0 1300 दिनांक 20 जुलाई 2001 द्वारा लागू किये जाने का निर्णय संसूचित किया गया है । तत्पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र F 5–3/2001, दिनांक 31 अगस्त 2001 तथा F 5–3/2001 दिनांक 24 जुलाई 2002 द्वारा संसूचित किया गया है कि वैसे शिक्षक, जिन्होने सेवा काल में दिनांक 1 जनवरी 1996 के पूर्व पी0एच0डी0 की डिग्री हासिल की है परन्तु पूर्व में अग्रिम वेतन–वृद्धि का लाभ नही मिला है, उन्हें दो अग्रिम वेतन–वृद्धि प्रदान की जा सकती है । इस व्यवस्था का लाभ दिनांक 27 जुलाई 1998 से प्रभावी किया गया है । चूँकि दिनांक 1 जनवरी 1996 के पूर्व सेवाकाल में पी0एच0डी0 उपाधि प्राप्त करने पर दो अग्रिम वेतन–वृद्धि अनुमान्य किए जाने का मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्तर पर ही विचाराधीन था, अतः राज्य सरकार के स्तर पर भी इस आशय का निर्णय नहीं लिया जा सका था ।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस कोटि के शिक्षकों को भी दो अग्रिम वेतन–वृद्धि देने का निर्णय संसूचित किया गया है । अतः सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वैसे शिक्षक, जिन्होने सेवा काल में दिनांक 1 जनवरी 1996 के पूर्व पी0एच0डी0 की डिग्री हासिल की है और पी0एच0डी0 डिग्री के आधार पर किसी प्रकार की प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला है को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसा के अनुरूप दो अग्रिम वेतन–वृद्धि प्रदान की जाय, जो दिनांक 27 जुलाई 1998 से प्रभावी होगी किन्तु वास्तविक लाभ तत्कालिक प्रभाव से अनुमान्य होगा। इस पर प्रति वर्ष 86494800 (आठ करोड़ चौसठ लाख चौरान्वें हजार आठ सौ रू0 मात्र) कुल व्यय अनुमानित है।

3. इसमें मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
के0के0पाठक, सचिव।

सं० 2/जी 1–05/07–1653
मानव संसाधन विकास विभाग

संकल्प
17 मई 2010

विषयः– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वयस्क सतत् शिक्षा एवं विस्तार विभाग के पदों का वित्तीय आवर्ती स्थापना व्ययभार वहन करने के संबंध में।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों यथा बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया, एवं टी0एम0 भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर में सत्त शिक्षा एवं प्रसार विभाग की स्थापना की गयी।उक्त विश्वविद्यालय में सतत् शिक्षा एवं प्रसार विभाग की स्थापना यू0जी0सी0 के नीतिगत ढांचे पर आधारित थी। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पदों का स्वीकृति एवं शतप्रतिशत अनुदान विश्वविद्यालय को यू0जी0सी0 द्वारा उपलब्ध कराया जाता रहा तथा इस योजना का कार्यान्वयन एवं पदों का सृजन राज्य सरकार के अनुमोदन से नहीं हुआ है, न ही राज्य सरकार द्वारा कभी असहमति व्यक्त की गई। उक्त विश्वविद्यालयों में यू0जी0सी0 द्वारा स्वीकृत पदों के अनुसार यू0जी0सी0

द्वारा दिनांक 31 मार्च 2000 तक व्यय भार दिया गया। यू0जी0सी0 द्वारा चलाई गई इस योजना को आगे चलाने हेतु आवर्ती व्यय राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय को वहन करना होगा, ऐसा विश्वविद्यालय एवं यू0जी0सी0 का अनुरोध है।

2. अतः सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक F-24-1/97(Su-1), दिनांक 22 फरवरी 2000 एवं विश्वविद्यालय से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में यू0जी0सी0 द्वारा स्वीकृत एवं कार्यरत वयस्क सतत् शिक्षा एवं विस्तार विभाग के निम्नांकित विश्वविद्यालयों में उनके सामने अंकित कुल सात पदों की स्वीकृति वैचारिक रूप से दिनांक 1 अप्रील 2000 से एवं वास्तविक रूप से आवर्ती स्थापना वित्तीय व्यय भार राज्य सरकार द्वारा इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से वहन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

क्र०	विश्वविद्यालय का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	यू0जी0सी0 द्वारा स्वीकृत वेतनमान रुपये में
1	तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	(1) परियोजना पदाधिकारी	2 (दो)	8,000–13,500
2	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया	(1) सहायक निदेशक (2) परियोजना पदाधिकारी	1 (एक) 2 (दो)	12000–18,300 8000–13,500
3	बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	(1) परियोजना पदाधिकारी	2 (दो)	8000–13,500

राज्य सरकार द्वारा उक्त वर्णित पदों के वेतन व्यय भार ग्रहण करने पर अपुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर कुल 18,00000 रु० (अठारह लाख) वार्षिक भार आएगा। यह राशि पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने से बढ़ेगी।

3. इनके वेतन आदि का भार विश्वविद्यालय को प्रदान किए जा रहे अनुदान से वहन किया जाएगा तथा इस परियोजना अन्तर्गत भविष्य में बिना सरकार की अनुमति के कोई भी नियुक्ति किसी भी स्तर पर नहीं की जाएगी।

4. प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

5. इसकी सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को दी जा रही है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
प्रकाश चन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव।

अधिसूचना
20 मई 2010

संख्या 2/एम 1–51/06 (खंड 1)–1704—आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 की धारा–18 के तहत एक सभा का गठन किया जाना है। राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत उक्त सभा का गठन निम्नवत् किया जाता है:–

(1) कुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय – अध्यक्ष
(2) निदेशक, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान – सदस्य
(3) कुलपति, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय – सदस्य
(4) निदेशक, बी0आई0टी0 मेसरा, पटना शाखा – सदस्य
(5) डॉ0 जितेन्द्र सिह, कुलपति, नालंदा खुला विश्वविद्यालय – सदस्य
(6) डॉ0 एस0आई0अहसन, प्रतिकुलपति, पटना विश्वविद्यालय – सदस्य
(7) डॉ0 वसन्त सिंह, पूर्व संयुक्त निदेशक, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान – सदस्य
(8) श्री ललित किशोर, अपर महाधिवक्ता – सदस्य
(9) निदेशक उच्च शिक्षा (पदेन) – सदस्य

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ओंकार नाथ आर्य उप–सचिव।

आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

18 मई 2010

संख्या-2/स्था0-राजपत्रित/आ0प्र0प्रा0-07/2008-1256/आ0प्र0प्रा0—आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (2005 का 53) की धारा-14 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें तथा भत्तों का संदाय) नियमावली 2008 में निम्नांकित संशोधन करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ— (i) यह नियमावली आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की सेवा-शर्त्त, भत्ते एवं सुविधा का संदाय) संशोधन नियमावली 2010 कही जा सकेगी।

(ii) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगी।

2. आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें तथा भत्तों का संदाय) नियमावली 2008 के नियम 4 के उप-नियम (v) के बाद निम्नलिखित उप-नियम (vi) जोड़ा जायेगा।

"(vi) बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को बिहार राज्य के मंत्री के समतुल्य निजी कर्मी की सुविधा एवं सदस्यों को बिहार राज्य के राज्य मंत्री के समतुल्य निजी कर्मी की सुविधा मिलेगी।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सतेन्द्र, विशेष सचिव।

18 मई 2010

संख्या-2/स्था0-राजपत्रित/आ0प्र0प्रा0-07/2008-1256/आ0प्र0प्रा0 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सतेन्द्र, विशेष सचिव।

The 18th May 2010

No 2/Astha-Rajpatrit/Aa Pra Praa- 07/2008-1257-Aa Pra Praa— In exercise of Powers conferred by section 14 of the Disaster Management Act 2005 (53 of 2005), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in Disaster Management (Term of office and conditions of service of Members of the State Authority and pay and Allowances to Members of Advisory Committee) Rules 2008.

1. *Short Tittle extent and commencement* .— (i) This rule may be called Disaster Management (Term of office and conditions of service of Members of the State Authority and pay and Allowances to members of Advisory Committee) Amendments Rule 2010.

(ii) This rule shall come into effect from the date of publication in the official Gazette.

2. The following subrule (vi) shall be added after sub rule (v) of rule 4 of Disaster management (Term of office and conditions of Service of Members of the State Authority and Pay and Allowances to Member of Advisory Committee) Rule 2008:-

"(vi) The vice chairman of Disaster Management Authority shall get the facility of personal staff equivalent to Minister of the Bihar State; the members shall get the facility of personal staff equivalent to State Minister of the Bihar State."

By the Order of Governor
SATENDRA, *Special Secretary.*

मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय
नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन-विभाग, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय-आदेश

4 मई 2010

सं०स्था0-3-बी-13/09-470—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1661, दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व० जयप्रकाश शर्मा भूतपूर्व बेल्डर नलकूप प्रमण्डल, बेतिया के आश्रित पुत्र श्री राजेन्द्र शर्मा को नलकूप प्रमण्डल, बेतिया के अन्तर्गत कोषरक्षक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 2610-60-3150-65-3540 रुपए तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।

2. श्री राजेन्द्र शर्मा पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नवनियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक-दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व० जयप्रकाश शर्मा के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, बेतिया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री राजेन्द्र शर्मा को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री राजेन्द्र शर्मा की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक-दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा-पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

9. योगदान करने हेतु श्री राजेन्द्र शर्मा को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।

आदेश से,
राजवंश राय, मुख्य अभियंता (उत्तर)।

4 मई 2010

सं० स्था0-3, बी-27/08-9-471—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1661, दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व० बद्री नारायण शर्मा, भूतपूर्व अमीन, नलकूप प्रमणडल, पूर्णिया के आश्रित पुत्र श्री सुभाषचन्द्र कुमार को नलकूप प्रमण्डल, खगड़िया के अन्तर्गत दफ्तरी के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान

2610-60-3150-65-3540 रूपए तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।

2. श्री सुभाषचन्द्र कुमार पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक-दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व० बद्री नारायण शर्मा के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, खगड़िया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री सुभाषचन्द्र कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री सुभाषचन्द्र कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक-दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा-पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

9. योगदान करने हेतु श्री सुभाषचन्द्र कुमार को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।

आदेश से,
राजवंश राय, मुख्य अभियंता (उत्तर)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 10—571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

20 अप्रील 2010

सं०स0क0स्था0(राज0)–10–22/2010–1730—विभागीय अधिसूचना संख्या 1477 दिनांक 30 मार्च 2010 द्वारा श्रीमती रीना कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, औराई सम्प्रति निलंबित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गोपालगंज (सदर) को निलंबन से मुक्त किया गया है । निलंबन मुक्ति के पश्चात् उन्होंने दिनांक 31 मार्च 2010 (पू0) को विभाग में योगदान दिया है ।

अतएव श्रीमती रीना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) गृह जिला, पटना को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जगदीशपुर (भोजपुर) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रामानन्द झा, उप–सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 10—571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in